राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 574/2006/अलवर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–प्रथम,जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अजन्ता सोया लिमिटेड
भिवाडी — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री डी कुमार
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 19.06.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 439/अतिआ(अपील्स)आरएसटी/33/2003–04 में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 84 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 31.08.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण प्रतिकरापवंचन शाखा के अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.11.1995 को किया गया एवं उक्त सर्वेक्षण के विरूद्ध वर्ष 1994–95 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.1997 को वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत–प्रथम, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा पारित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त(अपील्स)द्वितीय, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने उक्त अपील का निस्तारण दिनांक 20.01.1998 को किया गया। उक्त आदेश दिनांक 20.01.1998 से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से राजस्थान कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की गई,जिसका निस्तारण कर बोर्ड द्वारा दिनांक 27.01.2003 को किया जाकर पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 16.10.2003 को पारित करते हुए कर रू. 51,436/–, ब्याज रू. 1,08,112/– व शास्ति रू. 1,02,872/–की आरोपित की गई है,जिसको हस्तगत अपील में विवादित किया गया है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.203 की पूर्ण रूप से पालन करते हुए आदेश दिनांक 16.10.2003 पारित किया है,जिसे अविधिक रूप से अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश को इस आधार पर अपास्त किया है कि उन्होंने अपनी ही व्याख्या के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी पर करारोपण किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने विधिक प्रावधानों के आधार पर आदेश दिनांक 16.10.2003 पारित किया है, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया जाना अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट कि राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2003 में दिये गये निर्देशों की पालना किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी ने अपनी व्याख्या के आधार पर आदेश दिनांक 16.10.2003 पारित किया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि "उपरोक्त रिकार्ड को देखने से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो करारोपण किया गया है, वह माननीय कर बोर्ड द्वारा दिऐ गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया गया बल्कि अपनी ही व्याख्या के आधार पर अपीलांट पर पुनः करारोपण किया गया है। इस प्रकार बिना निर्देशों की पालना किए हुए एवं बिना किसी जांच के, जो करारोपण किया है, वह माननीय कर बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत है।" अपीलीय अधिकारी के उक्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण विचार के पश्चात प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की है, जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं समझती है। फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष